



csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2018 /

दिनांक-15.03.2018

निविदा - सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के लिये फार्म में लगे बाग के अन्दर कृषक क्रियाएं जैसे पौधों में खाद डालकर गुणाई करना, दवा का छिड़काव, सिंचाई व ट्रेनिंग/प्रूनिंग आदि कार्य तथा नर्सरी में होने वाले विभिन्न कार्य जैसे पालीथीन बैग्स भरना, निराई गुणाई, बीज निकालना, बुवाई करना व रूट स्टोक तैयार करना व ग्राफटेड पौध तैयार करना आदि कार्य ठेके में कराने के लिए दर निर्धारण हेतु मोहर बन्द निविदाएं/ खुली बोली दिनांक 11.04.2018 को आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	विवरण	क्षेत्रफल (हे०)	धरोहर राशि (रु०)
1	बाग		5000.00 (पाँच हजार)
	पुराना बाग	55.00	
	नया बाग	15.00	
2	नर्सरी	6.00	5000.00 (पाँच हजार)

उपरोक्त दिनांक को बाग व नर्सरी में होने वाले विभिन्न कार्यों का ठेका 31.03.2019 तक के लिए निविदाएं दिनांक 11.04.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो 3.00 बजे खुली बोली प्रक्रिया के पश्चात खोली जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म आदि निविदा व खुली बोली में भाग लेने हेतु उपरोक्त धरोहर राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लि०, देय हिसार के नाम हो, फार्म के खजांची के पास जमा कराना होगा। ड्राफ्ट के बिना निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे। धरोहर राशि 1 व 2 के लिए अलग-अलग जमा करना होगा। यदि किसी कारण वस दर का निर्धारण नहीं हो पाता है तो अगली प्रस्तावित तिथि दिनांक 25.04.2018 को उन्हीं नियम व शर्तों पर पुनः कराई जायेगी। असफल ठेकेदार को धरोहर राशि बिना ब्याज के चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) किसी भी कार्य दिवस में रु० 100/- व 18% जी.एस.टी. देकर/जमाकर फार्म कार्यालय के उद्यान अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। तथा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते उप-महाप्रबंधक

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

वर्ष 2018 -19 में बाग व नर्सरी के विभिन्न कार्यों को ठेके में कराने के के लिये नियम व शर्त -

- 1- खुली बोली/निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, खेत का खसरा खतौनी व वोटर आइ. डी., आदि व पैनकार्ड, प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार के नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके ।
- 2- ठेके के लिए धरोहर धन राशि रू0 5000/=पाँच हजार का डी0डी0 जो राष्ट्रीय बीज निगम लि0 हिसार के नाम देय हो, फार्म के खंजाची के पास जमा करना होगा । धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।
- 3- निविदादाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस होने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
- 4- सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ।
- 5- निविदादाता द्वारा दी गयी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
- 6- निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फ़ैक्स व पत्र/ई मेल मान्य नहीं होगा ।
- 7- समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से संबंधित न हो, उसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा । ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म अधिकारी द्वारा निश्चित किया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसको फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है । इस दशा में समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जाएगी ।
- 8- फार्म में असम्बन्धित गतिविधियां कार्य-कलापों व्याधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग नहीं करेगा । यदि कोई टैक्स/चूंगी या कोई भी कर लगता है तो उसका प्रबंध/ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा ।
- 10- किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान व किसी ठेकेदार के श्रमिक को किसी भी प्रकार जैसे चोट लगना, सांप काटना आदि से नुकसान/हानि होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- 11- कार्य की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा आवश्यकता समझे जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
- 12- ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । ऐसा करने पर ठेकेदार/वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे ।
- 13- ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 14- निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी । अपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोली दाता के पास तक नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदार नहीं होगी ।
- 15- फार्म अधिकारी को निविदा/बोली को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 16- यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म अधिकारियों को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट 'काली सूची' कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें ।
- 17 - ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे पौधे ढोने के लिए, कस्सी, व टोकरी इत्यादि लाने होंगे ।

- 18 – खण्ड में चक प्रभारी व हैड गार्ड की देखरेख में यह कार्य करना होगा । बिल का भुगतान चक प्रभारी, / उद्यान कर्मचारी द्वारा पौधों की गिनती करके किया जाएगा जिसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है । श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार स्वयं करेगा ।
- 19 – कार्य करते समय ठेकेदार व उसके किसी श्रमिक को अगर कोई जान माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 20 – दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा प्रदान किये गये रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया/कराया जाएगा ।
- 21 – ठेकेदार को रुपये 100/- मात्र स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा । यह कार्य आदेश मिलने के सात दिन के अन्दर अनुबंध करना होगा ।
- 22 – किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि० के माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादन हेतु पेश किया जायेगा जिनका फैसला अन्तिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा । फिर भी विवाद होने पर न्याय क्षेत्र 'हिसार' ही मान्य होगा ।

उद्यान अधिकारी
कृते उप-महाप्रबंधक